कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम०ई०-3/2025/ लखनऊः दिनांक 07 जुलाई ,2025

अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 (यथा संशोधित) तथा शासनादेश संख्या-I/864501/2025, दिनांक-29.01.2025 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट पी०जी० 2021 (एम०डी०/एम०एस०) तथा नीट पी०जी० 2022 (डिप्लोमा) बैच के अभ्यर्थियों को उनकी नीट ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:-

- नीट पी०जी० 2021 (एम०डी०/एम०एस०) तथा नीट पी०जी० 2022 (डिप्लोमा) बैच के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को पंजीकरण कराते हुए काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य है।
- चिकित्सा अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-3110/पांच-8-2020-जी (137) / 2018 दिनांक 09.12.2020 के प्रस्तर-3 में निहित निर्देशों के क्रम में पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों (वेटेज / नॉन वेटेज) को सीनियर रेजीडेण्टशिप अनुमन्य नहीं होगी।
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी की नीट ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र काउंसिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि से 06 माह की अवधि के पूर्व के मान्य नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या-85/2019/2625/71-1-2019-जी- 71/2011 टी०सी० दिनांक 16 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत सीनियर रेजीडेण्ट को ग्रेड वेतन रू0 6600/- तथा अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अनुमन्य किया गया है।
- प्रदेश के राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेजों / संस्थानों में कार्यरत जूनियर रेजीडेण्ट / सीनियर रेजीडेण्ट की वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से अधिक होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (E.W.S.) से संबंधित शासनादेश द्वारा निर्धारित अर्हता की परिधि में नहीं आते हैं। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों की ई०डब्लू०एस० श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त काउंसिलिंग हेतु किसी भी अभ्यर्थी को ई०डब्लू०एस० श्रेणी के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभप्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की च्वाईस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा अपनी भरी हुई च्वाइस Lock नहीं की जाती है, तो उसे Auto Lock कर दिया जायेगा।

➢ ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में फेलोशिप/पी०डी०सी०सी० अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों में इस कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर, अध्ययनरत हैं, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

➢ काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक / कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध बी०एन०एस० की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

➢ शासनादेश संख्या-I/864501/2025, दिनांक-29.01.2025 में निहित निर्देशों के क्रम में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न होने की दशा में निहित निर्देशानुसार आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है. तो रिक्त सीटों को उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

➢ Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।

➢ अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Number: 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

कृते महानिदेशक।

संख्याः एम०ई०-3/2025/ 1475 तदिनांक /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-चार।
2. समस्त सदस्य काउंसिलिंग बोर्ड।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०), योजना भवन, लखनऊ / यू०पी०एस०डी०सी०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उक्त समय सारणी वेबसाइट **dgmeonlineposting.upsdc.gov.in** पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव, के०जी०एम०यू०/यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई/निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई लखनऊ/डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/पी०जी०आई०सी०एच०, नोएडा /सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/ प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
5. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र०।

कृते महानिदेशक।